ले.प.प्रति.सं.43/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **न्यायधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **न्यायधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल** के माह **11/2008** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **26.11.2018** से **30.11.2018** तक श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पुष्कर एवं श्री महेन्द्र तिवारी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.05.2008 से 22.05.2008 तक द्वारा श्री ओ0 पी0 शुक्ला लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें वर्ष 1996 से 04/2008 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2008** से 10**/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **गढ़वाल परिक्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	59.54	49.28	8.49	6.38	-	12.37
2016-17	-	-	78.50	52.40	7.67	6.24	-	27.52
2017-18	-	-	64.10	55.97	7.24	5.57	-	9.80
2018-19 (10/18) तक	-	-	56.82	41.14	6.22	3.32	-	18.59

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

न्यायाधीश पारिवारिक
अपर जिला अधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
कानूगो/भूलेख निरीक्षक (मैदानी पर्वतीय)
राजस्व उप निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि लेखापरीक्षा में कार्यालय, **न्यायधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **न्यायधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/11, 03/13 ,03/16, 02/17** एवं **08/18** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः1-</u> लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालाय, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौढ़ी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 05/2008 से 10/2018 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 4.80 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है विभाग द्वारा एक रजिस्टर का रख रखाव किया गया है. जिसमें केवल पेटी कैश से संबन्धित लेन देन दर्ज किए जा रहे है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अत ररू 4.80 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
25/2008-09	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
25/2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **न्यायधीश , पौड़ी गढ़वाल ,पारिवारिक न्यायालय** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री सुजीत कुमार	पदेन, न्यायाधीश	01.05.2008	21.06.2010
2	श्री कुमकुम रानी	न्यायाधीश	22.06.2010	18.07.2012
3	श्री हीरा सिहं बोनाल	न्यायाधीश	19.07.2012	16.04.2015
4	श्री मनीष मिश्र	न्यायाधीश	18.04.2015	16.04.2018
5	श्री कौशल किशोर शुक्ला	न्यायाधीश	18.04.2018	06.09.2018
6.	श्री गुंजन सिंह	पदेन, न्यायाधीश	07.09.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **न्यायधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" द्वितीय तल एल-218 कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून**

को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र